न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./98/18/अजमेर (2018/00098)

विभागीय अपील द्वारा श्री सुभाष रोलन पटवारी बाडी तहसील बिजयनगर, कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 16–2–2018 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री सुभाष रोलन पटवारी बाडी तहसील बिजयनगर, कार्यवाहक भू. अ.निरीक्षक बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 25.10.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 16–2–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 18–8–2015 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप वर्तमान में भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर के अवकाश पर रहने से कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर का कार्य दिनांक 20–4–2015 से सम्पादित कर रहे है। प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बरल–II में दिनांक 18–12–2001 को प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश क्रमांक प्र.शा.गांवो के संग /2001/01/692 दिनांक 18–12–2001 के क्रम में तहसीलदार मसूदा के आदेश क्रमांक केम्प/2001/568 दिनांक 19–12–2001 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को तत्कालीन पटवारी ग्राम बरल–II ने दर्ज किया गया तथा दिनांक 22–12–2001 को तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर अंकन सही होने की टिप्पणी अंकित की गई। दिनांक 28–12–2001 को तत्कालीन नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा नोट

अंकित किया कि ''नामान्तरकरण 913 दिनांक 17–8–2001 से उक्त खसरा रकबा 2–15–05 भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका बिजयनगर के नाम दर्ज हो चुकी है अब वापस इस भूमि को खातेदारी में किस प्रकार दर्ज किया जा सकता है, निर्देश प्राप्त करे।'' यह नोट अंकित होने के पश्चात नामान्तरकरण आज दिनांक तक पेंडिग चल रहा है, जैसा संलग्न आरोप विवरण पत्र से स्पष्ट है। इतने दिनों तक नामान्तरकरण पेंडिग होने के बावजूद भी पुनः नवीन नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज विक्रय से गोकल सोरता के बजाय विश्राम सम्पत पि. देवी कौम भील सुमित्रा साना उर्फ शांति पुत्री देवी भील के नाम पटवारी बरल–॥ द्वारा दर्जे किया गया कि जांच का कार्य किया गया। इस प्रकार पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को निस्तारित किये बिना ही नवीन नामान्तरकरण की जांच कर नियमों की अवहेलना की है। आपका यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही करने का परिचायक है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या– 2</u>

उक्त नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 पेंडिग होते हुए भी विश्राम पुत्र देवी भील द्वारा दिनांक 4–4–2015 को विक्रय पत्र दिनांक 21–5–1993 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार, बिजयनगर ने दिनांक 4–5–2015 को पटवारी बरल–॥ को नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। पटवारी बरल–॥ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज किया जिसमें आप द्वारा 5–5–2015 को जांच की तथा सरपंच ग्राम पंचायत बरल–॥ द्वारा दिनांक 5–5–2015 को ही नामान्तरकरण निर्णित किया गया। आपका उक्त कृत्य जानबूझकर प्रकरण में वर्ष 2001 के नामान्तरकरण की स्थिति ज्ञात होते हुए भी बिना परीक्षण किये ही एवं रोकने की कार्यवाही नहीं करते हुए दर्ज नामान्तरकरण की जांच करना एवं इन तथ्यों का अपनी जांच में उल्लेख नहीं करना आपकी भूमिका की संदिग्धता को स्पष्ट करता है। आपका यह कृत्य नियमों के विपरीत राजकार्य करने का परिचायक है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

<u>आरोप संख्या– 3</u>

माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त श्री पोलू भील की शिकायत के संबंध में तहसीलदार, बिजयनगर को जिला कार्यालय के पत्रांक कअ/राजस्व/15/8171 दिनांक 3–6–2015 एवं पत्रांक कअ/राजस्व/15/8244 दिनांक 5–6–2015 द्वारा अभिलेख चाहा गया था एवं निर्देशित किया गया था कि नामान्तरकरण संख्या 976 से संबंधित नामान्तरकरण की मूल जिल्द

एवं नामान्तरकरण संख्या 2373 दिनांक 5–5–2015 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया, विक्रय पत्र दिनांक 26–5–1993 की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जावे। किन्तु आप द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक उक्त मूल अभिलेख संबंधित पटवारी से प्राप्त कर नहीं भिजवाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य प्रकरण में संलिप्तता रखते है। आपका यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का परिचायक है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 28–9–2015 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 18–1–2018 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16–2–2018 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश बिना गवाह, सबूत केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलार्थी पर आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध होना मानकर दण्डित किया गया है जो बिना साक्ष्य सबूत के होने व कयास के आधार पर होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर ने अपने अपीलाधीन आदेश पृष्ठ 4 पर यह अंकन किया कि ''जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का बाद परीक्षण अपचारी कार्मिक श्री सुभाष रोलन को कार्यालय के पत्रांक क.अ./भू.अ./विजा/17/9321 दिनांक 28–11–2017 को जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति प्रेषित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया'' कार्मिक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आरोप संख्या 1, 2 सिद्ध नहीं होने से कोई कथन नहीं किया गया है किन्तु आरोप संख्या 3 सिद्ध होने पर कथन में निवेदन किया कि पटवारी हलका के द्वारा फर्द कार्यवाही नामान्तरकरण संख्या 976 पर की जाती अथवा नवीन दाखिल नामान्तरकरण संख्या 2373 पर पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 की पेंडिसी होने का उल्लेख किया जाता तो मेरे द्वारा कभी भी इस प्रकार से दाखित विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 2373 की जांच नहीं की जाती। जिला कलक्टर, अजमेर से प्राप्त जांच

रिपोर्ट पर मेरे द्वारा नियमानुसार समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जांच अधिकारी द्वारा मुझ अपीलार्थी पर आयत आरोप संख्या 1 व 2 का स्पष्ट रूप से खण्डन करते हुए अभ्यावेदन तहसीलदार बिजयनगर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाकर निर्णय किया जाना कि अपीलार्थी ने आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध नहीं होने से कोई कथन नहीं किया। सर्वथा गलत एवं रेकार्ड एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का बिना अवलोकन किये ही शुरू से अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्वाग्रह (Prejdic) की मानसिकता रखते हुए निर्णय दिया है इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर ने जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा अपनी जांच में कयास के आधार पर निष्कर्ष अंकित किया उस अंकन को ही हुबहू अपने आदेश में अंकित किया जाकर अपीलार्थी को Ligule Mind का प्रयोग किये बिना ही दोष सिद्ध माना जो कतई सही नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी को मामले की जांच कर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर सही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी को नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 की जानकारी नहीं थी जिसके संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक निवेदन किया गया था। अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर के अपीलाधीन आदेश के पृष्ठ संख्या 3 पर अपने आदेश में अंकित किया कि ''अपचारी कार्मिक द्वारा नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 की जानकारी नहीं होना अपने जवाब में कथन किया गया किन्तु नामान्तरकरण संख्या 2373 की जांच में जब माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा मे इस भूमि का वाद विचाराधीन होने का विवरण अंकित किया गया और नामान्तरकरण संख्या 976 भी न्यायालय में जमा होना पटवारी हलका के द्वारा अवगत कराया है जिससे अपचारी का कथन कि जानकारी नहीं होना सत्यता प्रतीत नहीं होता है। अनुशासनिक अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया कि अपचारी कार्मिक के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 की जानकारी नहीं होना अपने जवाब में कथन किया गया किन्तु नामान्तरकरण संख्या 2373 की जांच में जब उपखण्ड अधिकारी मसूदा में इस भूमि का वाद विचाराधीन होने का विवरण अंकित किया है एवं नामान्तरकरण संख्या 976 भी न्यायालय में जमा होना पटवारी के द्वारा अवगत कराया है जिससे अपचारी का कथन की जानकारी नहीं होना सत्यता प्रतीत नहीं होता है। पटवारी हलका के द्वारा बरवक्त जांच मुझ अपीलार्थी को बताया कि पूर्व में पारिवारिक विवाद के कारण से उपखण्ड अधिकारी मसूदा में वाद विचाराधीन है जो धारा 88, 188 से संबंधित है जो वाद में पक्षकारों में आपस में समझौता होकर दिनांक

5–12–2014 को विचाराधीन वाद न्यायालय मसूदा के यहां ड्रोप हो चुका है अब न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है इसलिए नामान्तरकरण अब दाखिल किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 2373 में पटवारी की रिपोर्ट में कहीं भी नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 न्यायालय में जमा कराने का अंकन नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध होना कयास और अनुमान पर आधारित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेन ने अपीलाधीन आदेश में आरोप संख्या 2 में अंकन किया कि कार्मिक ने आरोप संख्या 2 में पटवारी हलका द्वारा जानकारी नहीं होने का कथन किया गया साथ ही चार्ज दिनांक 20–4–2015 से दिनांक 10–5–2015 तक होने का कारण जानकारी नहीं होना अवगत कराया कि ''अपचारी कार्मिक के कथन की जानकारी नहीं होना बताना सत्य प्रतीत नहीं होता माना जाकर आरोप संख्या 2 अपीलार्थी पर सिद्ध होना माना है जो पूरा का पूरा अनुमान/कयास के आधार पर बिना किसी साक्ष्य सबूत के होने से अपीलार्थी के विरूद्ध कतई सिद्ध नहीं होने से निरस्तनीय है।''

अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण दाखिल अथवा पंचायत में अथवा फैसल अधिकारी के पास निस्तारण हेतु पेश करने का कार्य पटवारी हलका के द्वारा किया जाता है परन्तु अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा अपने विवादास्पद अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण का भरना जांच करना, फैसल कराना सभी आरोप बिना किसी समुचित आधार के, बिना साक्ष्य के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को दोषी माना है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। नामान्तरकरण संख्या 976 पर नायब तहसीलदार द्वारा यह अंकन किया कि चूंकि 90 बी की कार्यवाही के तहत इस खसरा संख्या 878 में से आधी भूमि स्थानीय निकाय के नाम हो चुकी है अतः अब वापस इसी भूमि को खातेदारी में किस प्रकार लिया जा सकता है, निर्देश प्राप्त करे। परन्तु आज तक नामान्तरकरण संख्या 976 पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाकर नामान्तरकरण को निस्तारित नहीं किया गया मेरा यहां पर यह भी निवेदन है कि 90 बी से भूमि पर किसी तरह का स्थानीय निकाय का हक हिस्सा भी पैदा नहीं होता है केवल मात्र 90 बी भूमि रूपान्तरण के लिए प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही है हक अधिकार तो भूमि के असली मालिका का ही होता है फिर भी अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा बिना कोई बड़ा वाकेयात अथवा बिना किसी हक अधिकारो में क्षति नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी को इस तरह का कठोर दण्ड दिया जाना सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलार्थी के द्वारा बिना किसी प्रकार की बदनियति

अथ्वा कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं की है पूर्ण सतर्कता बरतते हुए अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की जांच की है। यदि नवीन दाखिल नामान्तरकरण संख्या 2373/जमाबंदी के प्रभावित खाते में नामान्तरकरण की पेंडिसी का उल्लेख होता अथवा पटवारी हलका के द्वारा पूर्व नामान्तरकरण की पेंडिसी के बारे में बताया जाता तो अपीलार्थी के द्वारा कतई विवादास्पद नामान्तरकरण की जांच नहीं की जाती। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार कर अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16–2–2018 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 3800 दिनांक 25–4–2018 से अवगत कराया है कि प्रशासन गावो के संग अभियान केम्प बरल ॥ में दिनांक 18–12–2001 को प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश क्रमांक प्र.शा.गावों के संग/2001/01/692 दिनांक 18–12–2001 के क्रम में तहसीलदार मसूदा के आदेश क्रमांक केम्प/2001/568 दिनांक 19–12–2001 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को तत्कालीन पटवारी ग्राम बरल–॥ के आराजी खसरा नम्बर 978 रकबा 5–10–0 बीघा को गोकल, सोरत पुत्र तेजु 1/4 हि0 रमेश मुतबन्ना हरजी 1/4 हि0 सत्तू वल्द धन्ना व मु0 भंवरी बेवा धन्ना 1/4 हि0, पोलू पुत्र देवी 1/4 हिस्सा कौम भील के पक्ष में दर्ज किया गया तथा दिनांक 22–12–2001 को तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर अंकन की होने की टिप्पणी अंकित की गई। दिनांक 28–12–2001 को तत्कालीन नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा नोट अंकित किया कि ''नामान्तरकरण 913 दिनांक 17–8–2001 से उक्त खसरा रकबा 2–15–05 भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका बिजयनगर के नाम दर्ज हो चुकी है, अब वापस इस भूमि को खातेदारी में किस प्रकार दर्ज किया जा सकता है, निर्देश प्राप्त करे।'' यह नोट अंकित होने के पश्चात नामान्तरकरण आज दिनांक तक पेंडिग होने के बावजूद भी पुनः नवीन नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज विक्रय से गोकल, सोरता के बजाय विश्राम सम्पत पि0 देवी कौम भील सुमित्रा साना उर्फ शांति पुत्री देवी भील के नाम पटवारी बरल ॥ द्वारा दर्ज किया गया की जांच का कार्य किया गया। इस प्रकार पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को निस्तारित किये बिना ही नवीन नामान्तरकरण की जांच कर नियमों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक तहसील बिजयनगर श्री सुभाष रोलन को कार्यालय के ज्ञापन क्रमाक 5670 दिनांक 18–8–2015 के द्वारा आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी करते हुए प्रतिउत्तर 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्मिक ने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करते हुए उस पर स्थापित आरोप सही नहीं होना अवगत कराते हुए आरोप अस्वीकार किया गया। कार्मिक द्वारा आरोप अस्वीकार किये जाने पर आदेश दिनांक 2–12–2015 के द्वारा सीसीए नियम 16 (4) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को जांच अधिकारी एवं सीसीए नियम 16 (5) के अन्तर्गत तहसीलदार अजमेर को पैरोकार सरकार नियुक्त करते हुए मूल पत्रावली जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर को प्रेषित की गई।

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 30–12–2015 को आरोपित कार्मिक श्री सुभाष रोलन को उसके विरूद्ध स्थापित विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने हेतु साक्ष्य, सबूत पेश करने एवं बयानात दर्ज कराने हेतु दिनांक 20–1–2016 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 21–11–2017 से इस कार्यालय को भिजवाया गया। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कार्मिक पर स्थपित आरोप में से आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध होना पाया जाता है एवं अरोप संख्या 3 सिद्ध नहीं होना पाया जाता है। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया गया है। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा अपने विवादाग्रस्त अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी को नामान्तरकरण भरने, जांच करना, फैसल कराना सभी कार्यो के लिए बिना किसी समुचित आधार व बिना किसी समुचित साक्ष्य के पूर्णतया दोषी माना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 16–2–2018 में किस आधार पर यह अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 2373 की जांच में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के यहां वाद संख्या 122/24 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है जबकि अपचारी अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद बाबत उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय से प्राप्त कर प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार उक्त वाद दिनांक 5–12–2014

विड्रो के आधार पर ड्रोप हो चुका है एवं अपीलार्थी द्वारा इस वाद के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांकित 17–12–2018 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसके पृष्ठ भाग पर दिनांक 18–12–2018 की टिप्पणी अंकित है कि ''उपखण्ड अधिकारी मसूदा के प्रकरण संख्या 122/04 उनवानी प्रकरण संख्या पोलू बनाम रमेश वगैरह फैसल दिनांक 5–12–2014 में हाजा न्यायालय में कोई भी अपील पेश नहीं की गई है'' इसी प्रकार दूसरा वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद समझौता ड्राप हुआ अर्थात दोनों ही वाद नामान्तरकरण संख्या 2373 की जांच के समय दिनांक 5–5–2015 तक ड्राप हो चुके थे जबकि नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21/22–12–2001 में वाद विचाराधीन है यह कहीं अंकित नहीं है पटवारी हलका ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 न्यायालय में जमा होना अवगत कराया है जबकि नामान्तरकरण में ऐसा अंकन नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने दण्डादेश में जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 व 2 प्रमाणित होना माने है तथा आरोप संख्या 3 प्रमाणित नहीं होना माना है। अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाकर निर्णय किया जाना कि अपीलार्थी ने आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध नहीं होने का कथन किया है जो बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन किये बिना ही दिया गया निर्णय है जो विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–2–2018 निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सम्पूर्ण प्रकरण में अपीलार्थी पर आयत आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी मसूदा के वाद संख्या 122/04 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट जो विड्रो के आधार पर ड्राप हुआ एवं वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद समझौता ड्राप हुआ के आलोक में नये सिरे से पुनः जांच कर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:08:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: